



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271992
CG-DL-E-22042026-271992

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1936]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1936]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2009(अ)— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 537(E) तारीख 03/02/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के केन्द्रपाडा जिले में NH53 के कि.मी. 43.15 से कि.मी.54.2 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख #प्रतिदिना और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों की दिनांक 14.02.2026 की# दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के केन्द्रपाडा जिले में NH53 के कि.मी. 43.15 से कि.मी.54.2 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: केन्द्रपाडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मर्सघई					
गांव का नाम: पुरुषोत्तमपुर-२०१					
1	26	निजी	घराबरी	0.0040469	इंद्रमणि बिसवासी एँस्/ओ मोतीलाल बिसवासी
2	27	निजी	घराबरी	0.0080939	त्रिवेणी मोहन्ती डबल्यू/ओ प्रभात कुमार मोहन्ती
3	37	निजी	बियाली दोफासल	0.0222582	हरेकृष्ण राउत एँस्/ओ कुसेई राउत
4	40/1489	निजी	बियाली दोफासल	0.0080939	रविन्द्र कुमार राउत , सुमंता कुमार राउत , सुबाश चंद्र राउत , सुसंता कुमार राउत एँस्/ओ हरेकृष्ण राउत
गांव का नाम: कुसुनपुर-२१२					
5	722/927	निजी	घराबरी	0.0080939	पद्माचरण नायक , पतितापवन नायक ,

					ध्रुवा चरन नायक एँस्/ओ दर्शनी नायक , गौरी नायक डी/ओ दर्शनी नायक , पदी नायक डबल्यू/ओ दर्शनी नायक
गांव का नाम: कानपूर -२१३					
6	105	निजी	देवस्तला	0.0080939	श्री भुवनेश्वर महादेव बीजे कानपुर मरफत अजयकुमार पांडा , अधिराकुमार पांडा एँस्/ओ भगवत पांडा , प्रेमलता पांडा डबल्यू/ओ भगवत पांडा , जगबंधु पांडा एँस्/ओ दैतारी पांडा
गांव का नाम: दुमका-५३०					
7	1320	निजी	सरद	0.0040469	पद्माचरण नायक , पतितापवन नायक , ध्रुवा चरन नायक एँस्/ओ दरसानी नायक
8	1322	निजी	सरद	0.0040469	पद्माचरण नायक , पतितापवन नायक , ध्रुवा चरन नायक एँस्/ओ दरसानी नायक
Total				0.0667745	

[फा. सं. Cha/Paradip/8Lane/LA/3(a)/Kujanga/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2009(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **537(E) Dated:03/02/2026** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule

annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH53 in the stretch of land from Km. 43.15 to Km. 54.2 in the district of KENDRAPARA in the state of ODISHA

And whereas the substance of the said notification has been published in #Pratidina & Times of India both dated 14.02.2026#; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH53 in the stretch of land from Km. 43.15 to Km. 54.2 in the district of KENDRAPARA in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: KENDRAPARA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Marsaghai					
Village: Purusottampur-201					
1	26	Private	Gharabari	0.0040469	Indramani Biswasi s/o Motilal Biswasi
2	27	Private	Gharabari	0.0080939	Tribeni Mohanty w/o Prabhat Kumar Mohanty
3	37	Private	Biali dofasal	0.0222582	Harekrushna Rout s/o Kusei Rout
4	40/1489	Private	Biali dofasal	0.0080939	Rabindra Kumar Rout , Sumanta Kumar Rout , Subash Chandra Rout , Susanta Kumar Rout s/o Harekrushna Rout
Village: Kusunpur-212					
5	722/927	Private	Gharabari	0.0080939	Padmacharan Nayak , Patitapaban Nayak , Dhruba Charan Nayak s/o Darshani Nayak , Gouri Nayak d/o Darshani Nayak , Padi Nayak w/o Darshani Nayak
Village: Kanpur-213					
6	105	Private	Debastala	0.0080939	Sri Bhubaneswar Mahadev Bije Kanpur Marfat Ajayakumar Panda , Adhirakumar Panda s/o Bhagabat Panda , Premalata

					Panda w/o Bhagabat Panda , Jagabandhu Panda s/o Daitari Panda
Village: Dumuka-530					
7	1320	Private	Sarad	0.0040469	Padmacharan Nayak , Patitapaban Nayak , Dhruba Charan Nayak s/o Darsani Nayak
8	1322	Private	Sarad	0.0040469	Padmacharan Nayak , Patitapaban Nayak , Dhruba Charan Nayak s/o Darsani Nayak
Total				0.0667745	

[F. No. Cha/Paradip/8Lane/LA/3(a)/Kujanga/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director